Source:- राजस्थान पत्रिका
Date:- 04.07.2019
Page:- 11

कीमती धातु की तस्करी के साथ हवाला का भी करते थे काम

सोना तस्करी और हवाला कारोबार के 'बेताज बादशाह' चाचा-भतीजा डीआरआई के हत्थे चढ़े

5 सालों में डीआरआई की ओर से जब्त किए गए 120 करोड़ के सोने और 7.5 लाख डॉलर की तस्करी का आरोप कबूला

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

कोलकाता. कोलकाता में विदेश से सोना तस्करी के गोरखधंधे का 'बेताज बादशाह' खुफिया राजस्व निदेशालय (डीआरआई) के हत्थे चढ़ गया। उसका नाम अशोक जालान है। बांगुर एवेन्यू इलाका निवासी अशोक जालान अपने भतीजे अमित जालान के साथ मिलकर कीमती पीली धातु की तस्करी के साथ बड़े पैमाने पर हवाला का भी काम करता था। डीआरआई के अधिकारियों के अनुसार पिछले 5 सालों में डीआरआई ने कोलकाता, सिलीगुड़ी एवं गुवाहाटी से जब्त किए गए लगभग 120 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी की जिम्मेदारी दोनों ने स्वीकार की है। साथ ही 7.5 लाख डॉलर के हवाला कारोबार की बात स्वीकारी है। दोनों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (कोफेपोसा) अधिनियम-1974 की धारा 3(1) के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोनों प्रेसीडेन्सी जेल में बंद हैं।

डीआरआई को यूं मिला था सुराग

कुछ दिनों पहले डीआरआई ने हुगली जिले के डानकूनी इलाके से 8 किलोग्राम सोना (कीमत लगभग 2.72 करोड़) के साथ एक जने को गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में अशोक जालान और अमित जालान का नाम बताया। उसकी निशानदेही पर डीआरआई ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। फिर उनके काले धंधे का खुलासा हुआ।

चाचा के इशारे पर चलाता था साम्राज्य

डीआरआई अधिकारियों के अनुसार कीमती धातु की तस्करी एवं हवाला का कारोबार अशोक के इशारे पर अमित चलाता था। वह बहुत ही चालाकी से लम्बे समय से धंधे का संचालन कर रहा था।

पहले भी पकड़ा गया था अशोक

अशोक इससे पहले दो बार साल 1994 एवं 2002 में सोना तस्करी के आरोप में (कोफेपोसा) अधिनियम-1974 के तहत गिरफ्तार हो चुका है। रिहाई के बाद से वह फिर से इस धंधे में जुट गया था।